नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 036
दि. 08.11.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

अहमदाबाद विमान हादसे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी — कहा, मृत पायलट को दोषी ठहराना अनुचित; केंद्र और डीजीसीए से मांगा जवाब

(जीएनएस)। नई दिल्ली। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी मृत पायलट को दोषी ठहराना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह विमानन सुरक्षा से जुड़े बड़े सवालों को भी छिपा देता है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है।

मामला उस समय सुर्खियों में आया जब हादसे में मारे गए पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता पुष्कारराज सभरवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इंवेस्टिगेशन बोर्ड (एएआईबी) द्वारा तैयार प्रारंभिक रिपोर्ट में उनके बेटे और को-पायलट को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि जांच अधूरी और पक्षपातपूर्ण है। उनका आरोप है कि रिपोर्ट में कई तकनीकी खामियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया ताकि विमान कंपनी और संबंधित प्राधिकरणों की जिम्मेदारी पर सवाल न उठे।

याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी कहा कि रिपोर्ट में "मानवीय त्रुटि" को हादसे का मुख्य कारण बताया गया, जबकि विमान के कंट्रोल सिस्टम, मेंटेनेंस रिकॉर्ड और मौसम की परिस्थितियों की ठीक से जांच नहीं की गई। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के कुछ अंशों को बिना पूरी जांच पूरी किए सार्वजनिक कर दिया गया, जिससे समाज में यह गलत धारणा बनी कि हादसा केवल पायलट की गलती से हुआ था। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अब जीवित नहीं है, उसे दोषी ठहराना नैतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से अनुचित है। अदालत ने कहा कि यदि किसी दुर्घटना में जान गई है, तो उसकी जांच का उद्देश्य सच्चाई उजागर करना होना चाहिए, न कि दोष तय करने के लिए किसी पर उंगली उठाना।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हादसे की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से प्रमाणिक होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। अदालत ने केंद्र सरकार, डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इंवेस्टिगेशन बोर्ड से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है और पूछा है कि क्या जांच में सभी मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं।

इस बीच, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका दाखिल कर एएआईबी की जांच प्रक्रिया को असंतुलित और त्रुटिपूर्ण बताया है। संगठन ने कहा कि जांच केवल "मानवीय त्रुटि" पर केंद्रित रही, जबकि तकनीकी कारणों और हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) की भूमिका की पूरी तरह अनदेखी की गई। याचिकाकर्ता पुष्कारराज सभरवाल ने कहा कि उनका उद्देश्य अपने बेटे को निर्दोष साबित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी पायलट या विमान चालक दल को बिना निष्पक्ष जांच के दोषी न ठहराया जाए। उन्होंने कहा कि यह केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि देश के विमानन क्षेत्र की सुरक्षा और पारदर्शिता की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है और संकेत दिया है कि वह हादसे की स्वतंत्र न्यायिक जांच पर विचार कर सकती है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में न्याय केवल दोष तय करने से नहीं, बल्कि सच्चाई सामने लाने से मिलता है, और सच्चाई तभी सामने आएगी जब जांच निष्पक्ष और वैज्ञानिक ढंग से की जाएगी।

दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर तकनीकी खामी से हवाई संचालन ठप, 100 से अधिक उड़ानें रद्द या विलंबित — यात्रियों में हड़कंप, एयरलाइंस ने मांगी माफी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI Airport) शुक्रवार को अचानक तकनीकी गड़बड़ी की चपेट में आ गया, जिससे हवाई संचालन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। दोपहर के समय एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में आई गंभीर तकनीकी खराबी के कारण लगभग 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं। कई विमान रनवे पर घंटों खड़े रहे, जबकि सैकड़ों यात्री टर्मिनलों पर देरी और रद्द उड़ानों से परेशान होते रहे।

हवाई अड्डे के अधिकारियों ने स्थिति को "गंभीर लेकिन नियंत्रण में" बताते हुए कहा कि एयर ट्रैफिक सिस्टम में अचानक आई खराबी ने देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे को ठहराव की स्थिति में पहुंचा दिया। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बयान जारी करते हुए कहा, "एटीसी सिस्टम में तकनीकी समस्या के कारण उड़ानों में देरी हुई है। हम इस असुविधा के लिए यात्रियों से खेद व्यक्त करते हैं। हमारी टीमें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) और अन्य सभी एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार काम कर रही हैं ताकि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके।"

सूत्रों के मुताबिक, यह खराबी दोपहर लगभग 1:45 बजे सामने आई, जब रडार सिस्टम और फ्लाइट डेटा प्रोसेसिंग के बीच संचार बाधित हो गया। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कुछ समय के लिए मैनुअल मोड में उड़ानों को संभालना पड़ा। लेकिन उड़ानों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को या तो रोक दिया गया या उनके प्रस्थान में लंबी देरी करनी पड़ी।

एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा और स्पाइसजेट जैसी प्रमुख एयरलाइनों ने यात्रियों को संदेश भेजकर सूचित किया कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते देरी अनिवार्य है। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा, "दिल्ली में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी समस्या के कारण सभी एयरलाइनों के संचालन प्रभावित हुए हैं। हवाई अड्डे और विमानों में लंबा इंतजार हो रहा है। यह समस्या हमारे नियंत्रण से बाहर है, फिर भी हमारी टीमें यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं।"

दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थिति का असर देशभर के अन्य हवाई अड्डों पर भी देखा गया। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जाने वाली उड़ानों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय रूट्स — जैसे दुबई, लंदन और सिंगापुर — की उड़ानें भी प्रभावित हुईं। कई विमानों को वैकल्पिक रनवे या दूसरे हवाई अड्डों पर डायवर्ट किया गया।

हवाई अड्डे पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। टर्मिनल-3 पर यात्रियों की भीड़ लग गई, जबकि कई लोग फर्श पर बैठकर सूचना अपडेट का इंतजार करते रहे। सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि "घंटों इंतजार के बाद भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही।" कुछ यात्रियों ने शिकायत की कि एयरलाइंस ने समय पर सूचना नहीं दी और भोजन-पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं की गई।

डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने मामले का संज्ञान लेते हुए तकनीकी खामी की जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एटीसी सिस्टम में आई खराबी नेटवर्क सिंक्रोनाइजेशन से जुड़ी थी, जिसने उड़ान ट्रैकिंग और डेटा प्रोसेसिंग दोनों को प्रभावित किया। अधिकारियों ने कहा कि विशेषज्ञों की एक टीम ने देर शाम तक सिस्टम को सामान्य करने में सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन एहतियातन संचालन को धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है ताकि कोई और त्रुटि न हो।

इस अप्रत्याशित घटना के कारण हजारों यात्रियों की योजनाएं प्रभावित हुईं। कई लोगों को अपनी उड़ानें पुनर्निर्धारित करानी पड़ीं या होटल में रुकना पड़ा। एयरलाइंस ने यात्रियों से धैर्य रखने और हवाई अड्डे पहुंचने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति ऑनलाइन चेक करने की सलाह दी है।

पाकिस्तान की सियासत में आतंक का पुनर्जन्म , जब लोकतंत्र के नक़ाब के पीछे छिपा है आतंक का चेहरा

(जीएनएस)। फैसलाबाद की ठंडी हवा में बीते सप्ताह एक दृश्य ऐसा घटा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी, जो प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते हैं, उस संगठन के दरवाज़े पर पहुँचे जिसे पूरी दुनिया "आतंक की फैक्ट्री" के रूप में जानती है। यह संगठन था — जमात-उद-दावा का राजनीतिक मुखौटा पाकिस्तान मार्कज़ी मुस्लिम लीग (PMML), जिसका संस्थापक और मार्गदर्शक वही हाफ़िज़ सईद है, जिसने 26/11 के मुंबई हमलों की साज़िश रची थी। फैसलाबाद के उसी दफ्तर में बैठकर तलाल चौधरी ने PMML के नेताओं के साथ 'राजनीतिक स्थिरता', 'राष्ट्रीय एकता' और 'लोकतांत्रिक निरंतरता' जैसे विषयों पर चर्चा की। बैठक के बाद PMML की ओर से बयान जारी हुआ कि "सभी राजनीतिक दलों को देश की भलाई के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए।" सतही तौर पर यह बयान लोकतंत्र की भाषा बोलता है, लेकिन इसके भीतर छिपा है एक घातक सच — पाकिस्तान आतंक के राजनीतिकीकरण के रास्ते पर फिर लौट आया है।

पाकिस्तान का यह चरित्र नया नहीं। बीते कई दशकों से वहां की राजनीति आतंकवाद और कट्टरपंथ के साए में पलती रही है। परवेज़ मुशर्रफ़ के दौर में आतंकवाद को "रणनीतिक गहराई" का औज़ार बनाया गया था। इमरान ख़ान के शासनकाल में "तालिबान नीति" ने पाक समाज को और अधिक विभाजित कर दिया। अब शाहबाज़ शरीफ़ के राज में वही चेहरा और अधिक स्पष्ट हो गया है — जहाँ लोकतंत्र की बात करने वाले नेता उसी दरवाज़े पर जा खड़े हैं जहाँ से बंदूकें और बमों की राजनीति निकलती है। हाफ़िज़ सईद, जिस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंध है, उसका संगठन जमात-उद-दावा न केवल भारत में बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी प्रतिबंधित है। इस संगठन ने ही पाकिस्तान में पाकिस्तान मार्कज़ी मुस्लिम लीग नाम का राजनीतिक दल बनाया ताकि आतंकवाद को नया वैधानिक रूप दिया जा सके। यही पार्टी अब खुलेआम सत्ता के मंत्रियों से मुलाक़ात कर रही है। इससे यह साफ़ झलकता है कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी आतंकवाद के साए से बाहर नहीं निकल पाई है।

यह वही पाकिस्तान है जिसने कुछ वर्ष पहले FATF (Financial Action Task Force) की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए आतंकवाद पर नकेल कसने का नाटक रचा था। उसने आतंकी संगठनों के खिलाफ छापेमारी की, बैंक खातों को फ्रीज़ किया और कुछ सरगनाओं को जेल भेजने का दिखावा किया। लेकिन जैसे ही अंतरराष्ट्रीय दबाव कम हुआ, आतंकवाद और सत्ता की साझेदारी फिर से सामने आ गई। भारत के लिए यह विकास बेहद चिंताजनक है। बीते महीनों में जब भारत ने कश्मीर में शांति स्थापित करने के प्रयास तेज़ किए, तभी पाकिस्तान में आतंक समर्थक संगठनों को फिर से सक्रिय किया जाने लगा। हाफ़िज़ सईद के नेटवर्क से जुड़े समूह भारत विरोधी नारे और फंडिंग अभियानों को खुलेआम चला रहे हैं। अब जब सरकार के मंत्री इन संगठनों के साथ बैठकर "राजनीतिक सहयोग" की बातें करते हैं, तो यह भारत के लिए स्पष्ट संदेश है कि पाकिस्तान की नीति अब भी "राज्य प्रायोजित आतंकवाद" की ही राह पर चल रही है।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान लगातार यह दावा करता रहा है कि वह "आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में विश्व का सहयोगी" है, पर उसकी वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। उसकी सुरक्षा नीति, आंतरिक राजनीति और विदेश नीति — तीनों का मूल उद्देश्य आतंकवाद को साधन बनाना है। तलाल चौधरी की यह मुलाक़ात केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उस रणनीतिक मानसिकता की पुनर्पुष्टि है जिसमें आतंकवाद को राजनीतिक औज़ार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

यह कदम पाकिस्तान की वैश्विक साख को और गिरा सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने पहले ही इस्लामाबाद को चेताया है कि यदि वह आतंकवादी संगठनों को राजनीतिक रूप से वैधता देने की प्रक्रिया जारी रखता है, तो FATF के प्रतिबंध और आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है।

दुबई में अघोषित संपत्ति रखने वालों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली और गोवा में हवाला नेटवर्क पर ताबड़तोड़ छापेमारी — विदेशी मुद्रा कानून के तहत चल रही जांच

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दुबई में अघोषित संपत्ति रखने वाले भारतीयों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को एक व्यापक कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत दिल्ली और गोवा के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की जा रही है, और इसका केंद्र हवाला नेटवर्क तथा विदेशों में अवैध रूप से संपत्ति जमा करने वाले व्यक्तियों पर है।

ईडी सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी सुबह तड़के शुरू हुई जब जांच एजेंसी की कई टीमें स्थानीय पुलिस बलों के साथ दिल्ली, गोवा और आसपास के इलाकों में एक साथ पहुंचीं। एजेंसी के मुताबिक, छापे हवाला कारोबारियों और विदेशी मुद्रा दलालों पर मारे जा रहे हैं, जो कथित रूप से भारतीय नागरिकों की दुबई में रखी गई अघोषित संपत्तियों के लेनदेन में शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि जांच में ऐसे कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जो दुबई में अघोषित संपत्तियों और बैंक खातों से जुड़े हैं। माना जा रहा है कि इन संपत्तियों को भारत से अवैध रूप से ट्रांसफर की गई रकम से खरीदा गया था। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि इन हवाला नेटवर्कों के जरिए करोड़ों रुपये की रकम भारत से दुबई, सिंगापुर और हांगकांग भेजी गई।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फेमा (FEMA) की धारा 37A के तहत जांच की जा रही है, जो भारत से बाहर रखी गई अघोषित संपत्ति और विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निगरानी की अनुमति देती है। अधिकारी ने कहा, "हमारे पास विश्वसनीय सूचना थी कि कुछ भारतीय नागरिकों ने दुबई में बड़ी मात्रा में अचल संपत्ति और निवेश किए हैं, जिनकी जानकारी भारत में कर अधिकारियों को नहीं दी गई है। इन सौदों में हवाला और नकद चैनलों का उपयोग किया गया है।"

सूत्रों का कहना है कि ईडी को पिछले कुछ महीनों से दुबई में भारतीयों द्वारा खरीदी गई संपत्तियों की सूची मिल रही थी। यह जानकारी विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों (FIU) और कुछ अंतरराष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से भारत को प्राप्त हुई थी। इन जानकारियों से पता चला कि कई भारतीय कारोबारी और हवाला ऑपरेटर अपने नाम पर नहीं, बल्कि बेनामी साझेदारों और ट्रस्टों के नाम पर दुबई में संपत्ति रखते हैं।

छापेमारी के दौरान एजेंसी को कथित हवाला ट्रांजैक्शनों से जुड़ी रसीदें, विदेशी मुद्रा के बड़े बंडल, कई लैपटॉप, मोबाइल फोन और डिजिटल हार्ड ड्राइव मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कार्रवाई आने वाले समय में विदेशों में अवैध संपत्ति रखने वाले भारतीयों पर एक बड़ी सख्ती का संकेत है। जानकारों के मुताबिक, यह कार्रवाई ईडी द्वारा पिछले वर्ष शुरू की गई उस विशेष अभियान का हिस्सा है जिसके तहत विदेशों में भारतीयों द्वारा की गई संपत्ति खरीद और निवेश की जांच की जा रही है। इसमें दुबई, मॉरीशस, सिंगापुर और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे टैक्स हैवन देशों में जमा काले धन का पता लगाया जा रहा है।गोवा में ईडी की टीमें विशेष रूप से कुछ ऐसे हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं जिनके लिंक दुबई और खाड़ी देशों के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े बताए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में करोल बाग, चांदनी चौक, लाजपत नगर और जनकपुरी जैसे इलाकों में भी कई ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है।

अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्तियों को फेमा उल्लंघन नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, तो इन लोगों की विदेशी संपत्तियों को भारत सरकार कब्जे में ले सकती है या जब्त कर सकती है।

अगले सौ वर्षों में 1,100 कशेरुकी प्रजातियां हो सकती हैं विलुप्त, बीफ और लैम्ब उत्पादन सबसे बड़ा खतरा साबित

(जीएनएस)। नई दिल्ली। एक नई वैज्ञानिक चेतावनी ने वैश्विक पर्यावरण समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन के अनुसार, यदि मौजूदा कृषि नीतियां और मानव आहार पैटर्न इसी तरह जारी रहे, तो अगले 100 वर्षों में लगभग 700 से 1,100 कशेरुकी प्रजातियां — जिनमें स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप और उभयचर शामिल हैं — पृथ्वी से हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं।

यह अध्ययन बताता है कि हम जो खाते हैं, वह केवल हमारे शरीर के स्वास्थ्य को नहीं, बल्कि धरती की पारिस्थितिकी और जैव विविधता के भविष्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। बीफ और लैम्ब जैसे पशु-आधारित खाद्य पदार्थ इस संकट के मुख्य कारणों में गिने गए हैं। शोध के अनुसार, इनका उत्पादन पौध-आधारित खाद्य पदार्थों जैसे दालों और फलों की तुलना में सौ गुना अधिक जैव विविधता जोखिम पैदा करता है। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दुनिया की 30,875 स्थलीय कशेरुकी प्रजातियों के संरक्षण डाटा का विश्लेषण किया। इसके लिए उन्होंने एक नया गणितीय मॉडल "लाइफ" (Landcover Change Impacts on Future Extinction) विकसित किया, जो यह मापता है कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ के उत्पादन के लिए उपयोग की गई भूमि किस हद तक प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर रही है। यह मॉडल पहली बार किसी भी भोजन की "विलुप्ति पदचिह्न" (Extinction Footprint) को प्रति किलो उत्पादन के आधार पर सटीक रूप से मापने में सक्षम हुआ है। शोधकर्ताओं ने पाया कि अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार भी जैव विविधता संकट का बड़ा कारण बन चुका है। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में जैव विविधता को सबसे अधिक नुकसान घरेलू खेती से नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड से आयात किए गए बीफ से हो रहा है। अध्ययन के अनुसार, इन देशों से आने वाला मांस स्थानीय बीफ की तुलना में 30 से 40 गुना अधिक प्रजातीय विनाश जोखिम पैदा करता है। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन द्वारा इन देशों से मांस आयात बढ़ाने से यह खतरा और गहरा गया है। वैज्ञानिकों ने इस प्रवृत्ति को "जैव विविधता का निर्यात" कहा है — यानी विकसित देश अपने विलासपूर्ण आहार के लिए पारिस्थितिक नुकसान विकासशील देशों पर थोप रहे हैं। अमेज़न के जंगलों में कृषि विस्तार, इंडोनेशिया में पाम ऑयल की खेती और अफ्रीकी सवाना में पशुपालन इसी श्रृंखला की भयावह मिसालें हैं। कृषि भूमि का विस्तार संकट की जड़ बन चुका है। पिछले 60 वर्षों में पृथ्वी की कुल भूमि का लगभग एक-तिहाई हिस्सा कृषि क्षेत्र में तब्दील किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की रिपोर्ट पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि 1960 के दशक के बाद से वैश्विक कृषि उत्पादन तीन गुना बढ़ चुका है, लेकिन इसके साथ ही प्रजातियों पर दबाव अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। भारत जैसे देशों के लिए यह अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता है और यहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से शाकाहारी है। लेकिन हाल के वर्षों में बढ़ते शहरीकरण, आर्थिक समृद्धि और आहार विविधता के चलते मांस उपभोग तेजी से बढ़ा है। अध्ययन के अनुसार, यदि भारत अपने आहार तंत्र को दालों, मोटे अनाज (मिलेट्स) और पौध-आधारित विकल्पों की ओर मोड़ता है, तो वह न केवल स्वास्थ्य बल्कि जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भी वैश्विक उदाहरण बन सकता है।

संपादकीय

सरकार-शिक्षण संस्थानों की

यह तथ्य हृदयविदारक ही है कि देश में एक साल के दौरान करीब चौदह हजार छात्रों ने आत्महत्या की। पहली नजर में आत्मघात के मूल में पढ़ाई का दबाव, छात्रों की संवेदनशीलता और तंत्र की नाकामी बताई जा सकती है। लेकिन सवाल है कि हमारा तंत्र क्यों संवेदनहीन बना हुआ है? यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को तलब करके इस बाबत विस्तृत विवरण मांगा है। साथ ही सवाल पूछा है कि क्या देश के सभी शिक्षण संस्थान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी निभा रहे हैं? विडंबना यह है कि देश में मोटी पगार वाली नौकरियों की गलाकाट स्पर्धा में शिक्षण संस्थाएं व शिक्षक उस दायित्व को भूल गए हैं, जो छात्रों को विषयगत शिक्षा के साथ विषम परिस्थितियों के बीच जीवन जीने की कला सिखा सके। उन्हें व्यावहारिक जीवन का कौशल सिखाने के साथ ही चुनौतियों से जूझने की मानसिक शक्ति विकसित करने के लिए तैयार कर सकें। आखिर किसी परिवार की उम्मीद को किस स्थिति में यह सोचना पड़ता है कि मौत को गले लगाना अंतिम विकल्प है? शिक्षा परिसरों में ऐसी स्थितियां क्यों विकसित हो रही हैं कि विद्यार्थी जीवन से हार मानने लगे हैं? निस्संदेह, शिक्षण संस्थानों का एक मात्र लक्ष्य किताबी ज्ञान देकर डिग्री बांटने तक ही नहीं हो सकता। शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन तंत्र को अपने परिसर में समता, ममता और सहजता का वातावरण तैयार करना होगा। जहां किसी भी तरह तनाव, मानसिक कष्ट व भेदभाव नजर न आए और कारगर शिकायत निवारण तंत्र विकसित हो। ऐसा न होने पर ही सरस्वती के मंदिरों में तनाव की फसल उग रही है। हमारे नीति-नियंता इस दुखदायी स्थिति पर अंकुश लगाने हेतु किसी तरह की गंभीर पहल करते नजर नहीं आते। यदि गाल बजाने वाले राजनेता कोई कदम उठाने की लोकलुभावनी घोषणा करते भी हैं तो भी जमीनी हकीकत बदलती नजर नहीं आती। घोषणाएं प्रभावी भी होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि शैक्षणिक परिसरों में आत्महत्या रोकने के लिये जो कदम केंद्र व राज्य सरकारों को उठाने चाहिए थे, उसके बाबत देश की शीर्ष अदालत को क्यों पहल करनी चाहिए? इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि केंद्र व राज्य सरकारें आठ सप्ताह के भीतर वह विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करें, जो आत्महत्या रोकने के दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। दुखद स्थिति यह भी है कि देश में छात्रों के आत्मघात के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी पुष्टि खुद राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो भी कर रहा है। जो साल 2023 में देश की शिक्षण संस्थाओं में 13,892 छात्रों की मौत को गले लगाने की बात स्वीकार करता है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि यह संख्या पिछले एक दशक में पैंसठ प्रतिशत बढ़ी है। वहीं इस आंकड़े की तुलना यदि वर्ष 2019 से करें तो यह वृद्धि चौंतीस फीसदी दर्ज की गई है। जाहिर बात है कि यह वृद्धि छात्रों की मानसिक पीड़ा, हताशा और भविष्य के प्रति निराश होने की स्थिति को ही दर्शाती है। निश्चित रूप से हमारी शिक्षा की विसंगतियां भी इन आत्महत्याओं के मूल में हैं। देश में भाषा व बोर्ड स्तर पर पाठ्यक्रम व शिक्षण की स्थिति में खासा अंतर है। पैसे वालों के बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। रही-सही कसर उनके महंगे कोचिंग सेंटरों द्वारा पूरी की जाती है। हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की सारी ऊर्जा अपने ज्ञान को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में चली जाती है। कालांतर में वे उच्च शिक्षा संस्थानों में हीनग्रंथि का शिकार हो जाते हैं। ऐसी तमाम ग्रंथियां छात्रों को अपराधबोध से भर देती हैं। पढ़ाई के दबाव के अलावा शिक्षा संस्थानों के परिसर में हिंसा और जातिगत भेदभाव की खबरें भी आती हैं जो संवेदनशील छात्रों को हताशा से भर देती हैं। निश्चय ही सजगता व संवेदनशीलता से ऐसी परिस्थितियों से छात्रों को बचाया सकता है। यही वजह है कि देश की शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में शिक्षण संस्थानों और सरकार को जरूरी दिशानिर्देश दिए हैं। निस्संदेह, देश के युवाओं में आत्मघात की प्रवृत्ति राष्ट्र की गंभीर क्षति है, जिसे संवेदनशील ढंग से दूर करने की तत्काल जरूरत है।

वंदे मातरम को विभाजित कर पंडित नेहरु ने देश विभाजन के बीज बो दिये थे

> बताया जाता है कि 1937 में जब जिन्ना ने कहा कि "वंदे मातरम् मुसलमानों को चुभता है," तब कांग्रेस के तत्कालीन नेता जवाहरलाल नेहरू झुक गए थे। उन्होंने राष्ट्रगीत के तीन पैराग्राफ को हटा दिया था। यह पैराग्राफ माँ भारती की महिमा, शक्ति और वैभव का वर्णन करते थे।

"वंदे मातरम्", यह केवल एक गीत नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह वह पुकार थी जिसने गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ीं, यह वह मंत्र था जिसने अनगिनत क्रांतिकारियों को शहादत की राह पर भेजा। यह उस भारत माता का जयगान है, जिसने अपने बेटों को आज़ादी की ज्योति दी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसी "वंदे मातरम्" को, जिसे गाते हुए लाखों लोगों ने फाँसी के फंदे को चूमा, उसे 1937 में "खंडित" कर दिया गया था और यह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर, सिर्फ़ और सिर्फ़ जिन्ना को खुश करने के लिए। यह था भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आत्मघाती तुष्टिकरण। बताया जाता है कि 1937 में जब जिन्ना ने कहा कि "वंदे मातरम् मुसलमानों को चुभता है," तब कांग्रेस के तत्कालीन नेता जवाहरलाल नेहरू झुक गए थे। उन्होंने राष्ट्रगीत के तीन पैराग्राफ को हटा दिया था। यह पैराग्राफ माँ भारती की महिमा, शक्ति और वैभव का वर्णन करते थे। तर्क दिया गया था कि ये पैराग्राफ "हिंदू प्रतीकों" से भरे हैं, इसलिए मुस्लिम लीग असहज है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज़ादी का आंदोलन केवल किसी एक मज़हब का आंदोलन था? क्या भारत माता की वंदना किसी मज़हब से टकराती है, या वह इस देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है?

नेहरू ने उस समय "वंदे मातरम्" गीत के शब्दों को ही नहीं काटा था, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को भी आघात पहुँचाया था। देखा जाये तो उसी क्षण भारत की राजनीति में "तुष्टिकरण" का बीज बोया गया, जो आगे चलकर विभाजन के रक्तरंजित पेड़ के रूप में पनपा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ठीक यही बात दोहराई कि "वंदे मातरम् का विभाजन ही देश के विभाजन का बीज था।" जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "वंदे मातरम् के टुकड़े किए गए, उसकी आत्मा को तोड़ा गया," तो यह केवल इतिहास की पुनर्स्मृति नहीं थी, यह उन सभी राजनैतिक शक्तियों को सीधा संदेश था जो आज भी उसी विभाजनकारी मानसिकता को ढो रही हैं। मोदी का यह वक्तव्य एक राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक घोषणापत्र था— कि भारत अब आत्मगौरव से समझौता नहीं करेगा।

देखा जाये तो आज की कांग्रेस वही गलती दोहरा रही है। राहुल गांधी खुले मंचों पर "वंदे मातरम्" को एक लाइन में सीमित करने की बात करते हैं। यह वही मानसिकता है जिसने कभी जिन्ना को मनाने के लिए भारत की आत्मा को चोट पहुँचाई थी। प्रधानमंत्री मोदी का आज का बयान इस राष्ट्र को याद दिलाने के लिए था कि अगर हम अपनी जड़ों से शर्माएंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी।

इसके साथ ही यह भी दुखद है कि आज भी कुछ मुस्लिम नेता "वंदे मातरम्" को इस्लाम-विरोधी कहकर इसका विरोध करते हैं। AIMIM के नेता खुलेआम कहते हैं कि "बंदूक की नली पर भी वंदे मातरम् नहीं बोलेंगे।" सवाल उठता है कि क्या यह आस्था का सवाल है, या अलगाव की राजनीति का नशा? क्योंकि उसी मुस्लिम समाज के भीतर से आने वाले महान नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, और आरिफ़ मोहम्मद ख़ान जैसे विद्वान "वंदे मातरम्" को भारत की आध्यात्मिक एकता का प्रतीक मानते रहे हैं। एआर रहमान ने इसे विश्व मंच पर माँ भारती की वंदना के रूप में प्रस्तुत किया। तो फिर यह विरोध कहाँ से आता है? जवाब साफ़ है— यह धार्मिक नहीं, राजनीतिक विरोध है।

यह वही राजनीति है जो हर बार "भारत माता की जय" या "वंदे मातरम्" को हिंदू बनाम मुसलमान का मुद्दा बना देती है, ताकि तुष्टिकरण की पुरानी दुकान चलती रहे। देखा जाये तो बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने जब "वंदे मातरम्" लिखा था, तब यह किसी पूजा का गीत नहीं था— यह राष्ट्र-भक्ति की साधना थी। इस गीत ने बंगाल से लेकर पंजाब तक, तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक आज़ादी की ज्वाला जगाई। श्री अरविंदो ने इसे "देशभक्ति का नया धर्म" कहा था तो गांधीजी ने लिखा था— "मुझे कभी नहीं लगा कि वंदे मातरम् हिंदू गीत है, यह तो भारत की आत्मा की पुकार है।" आज अगर कुछ लोग इसे "मज़हबी" चश्मे से देखते हैं, तो दोष गीत का नहीं, दृष्टिकोण का है।

वंदे मातरम् के विरोध में खड़े लोग यह भूल जाते हैं कि जिन्होंने इसका विरोध किया, वही अंततः पाकिस्तान के निर्माण की मांग लेकर आए। और जिन्होंने "वंदे मातरम्" गाया, वही भारत की अखंडता के रक्षक बने। यह गीत हिंदू या मुस्लिम का नहीं, भारत का है। नेहरू की गलती केवल तीन पदों को हटाने की नहीं थी, बल्कि यह मान लेने की थी कि राष्ट्र की भावना को वोट बैंक के आगे झुकाया जा सकता है। जो लोग आज भी "वंदे मातरम्" से ऐतराज़ रखते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि "भारत माता" को प्रणाम करना किसी धर्म की वंदना नहीं, बल्कि उस भूमि के प्रति कृतज्ञता है जिसने हमें जन्म दिया। और जो इस माँ को स्वीकार नहीं करता, वह दरअसल अपने ही अस्तित्व से इंकार कर रहा है। वंदे मातरम्– यही भारत की पहचान है, यही उसकी आत्मा है, और यही उसका भविष्य।

प्रेरणा

वीरता की देवी और रणभूमि की चिरंतन प्रेमगाथा

राजस्थान की तपती रेत में न जाने कितनी कथाएँ दबी पड़ी हैं — ऐसी कथाएँ, जो केवल प्रेम की नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और त्याग की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं। यह वही भूमि है जहाँ तलवारें केवल लोहा नहीं थीं, वे श्रद्धा थीं; और जहाँ नारी केवल कोमलता का प्रतीक नहीं, बल्कि शौर्य की ज्वाला थी। ऐसी ही एक अमर कथा है उस चूण्डावत सेनानायक और उसकी वीर पत्नी की, जिसने अपने प्रेम को त्याग में बदलकर इतिहास की मिट्टी में अमरत्व लिख दिया।

राज्य के सीमांत पर युद्ध का शंखनाद हो चुका था। दुश्मन सेनाएँ सीमा की ओर बढ़ रही थीं और राजदरबार में सेना को रवाना करने की तैयारियाँ चल रही थीं। उसी समय सेनानायक चूण्डावत अपने महल के प्रांगण में खड़ा था — उसकी आँखों में संकल्प था, पर मन में एक गहरा द्वंद्व। कुछ ही समय पूर्व उसका विवाह हुआ था। उसकी पत्नी नववधू थी — कोमल, किंतु दृढ़ निश्चयी। विवाह के रंग अभी फीके भी नहीं पड़े थे कि रणभेरी ने उसे कर्तव्य की पुकार दे दी।

महल के आँगन में दीप जल रहे थे, पर उस प्रकाश में सेनानायक का चेहरा उदास था। वह जानता था कि युद्ध अपरिहार्य है, पर हृदय नववधू से बिछुड़ने को तैयार नहीं था। तभी उसकी पत्नी आई। उसके कदमों में शांति थी, पर मुखमंडल पर तेज ऐसा कि मानो स्वयं दुर्गा अवतरित हो गई हों। उसने पति के हाथों से तलवार उठाई, उसके माथे को अपने आँचल से पोंछा और बोली — "स्वामी, इस तलवार पर मेरे प्रेम की नहीं, मेरी श्रद्धा की छाया रहे। यह तलवार अब केवल आपकी नहीं, इस भूमि की रक्षा का व्रत है। जाइए, रणभूमि में जाकर अपना धर्म निभाइए। जो लौटेगा वह पति नहीं, पराक्रमी कहलाएगा; और जो न लौटा, वह अमर होगा।"

पति की आँखों में नमी तैर गई। उसने पत्नी का हाथ थामा, माथे पर विजय का तिलक लगाया और घोड़े पर सवार हो गया। जब सेना आगे बढ़ी तो हवेली के झरोखे में वही पत्नी खड़ी थी — पीत वस्त्रों में, शांत पर गंभीर। उसकी आँखें विदा कह रही थीं, पर ओठों पर मुस्कान थी — वह मुस्कान जो केवल उन स्त्रियों में होती है जो प्रेम से अधिक धर्म को पूजती हैं।

युद्ध के मार्ग में जब सेनानायक ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसका मन डोल गया। उसने अपने दूत को भेजा और कहा, "मेरी सेहनाणी से कहो, मुझे कोई ऐसा स्मृति-चिह्न दे जिससे रणभूमि में उसकी याद मुझे शक्ति दे सके।"

दूत हवेली पहुँचा, और जब पत्नी ने यह बात सुनी तो उसके भीतर एक गहरी अग्नि भड़क उठी। वह समझ गई कि उसके पति का मन अभी भी मोह के बंधन में है। उसने देवी दुर्गा के सामने नमन किया और कहा — "माँ, आज मेरी अग्निपरीक्षा है। आज मुझे यह सिद्ध करना है कि प्रेम कर्तव्य के मार्ग में बाधा नहीं, प्रेरणा बनता है।"

उसने बिना किसी झिझक के तलवार उठाई और क्षणभर में अपना सिर काट दिया। रक्त की धार बह निकली, पर उसके मुख पर अद्भुत शांति थी — जैसे मृत्यु नहीं, मुक्ति हो गई हो। उसने दूत को अपना सिर थमाया और कहा — "यह रहा मेरा स्मृति-चिह्न। इसे अपने स्वामी के पास ले जाओ। उसे कहना कि अब उसकी सेहनाणी उसकी गर्दन पर बंधी रहेगी, अब कोई मोह नहीं, केवल विजय।"

जब सेनानायक ने यह दृश्य देखा, तो उसकी आत्मा हिल गई। वह सन्न रह गया। उसकी आँखों से अश्रुधारा बह निकली, पर उसी क्षण उसने अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाया और गर्जना की — "अब यह युद्ध नहीं, यह प्रतिज्ञा है उस नारी के बलिदान की, जिसने मुझे अमर बना दिया।"

उसने अपनी पत्नी का सिर बालों से बाँधकर अपनी गर्दन में टाँग लिया। रणभूमि में उतरते समय वह किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं, किसी देवता की तरह प्रतीत हो रहा था। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वह शत्रु सेना पर इस तरह टूट पड़ा जैसे मृत्यु स्वयं अवतरित हो गई हो। हर वार के साथ उसकी पत्नी का आशीर्वाद गूंजता — "जय मातृभूमि!"

घंटों तक रण चलता रहा। रक्त की नदियाँ बहीं, पर चूण्डावत की तलवार नहीं थमी। उसने दुश्मनों को परास्त किया, अपने राज्य की रक्षा की और इतिहास में अमर हो गया। जब युद्ध समाप्त हुआ, तो सेनानायक की देह रक्तरंजित थी, पर उसकी आँखों में शांति थी। उसने आकाश की ओर देखा, और मन ही मन अपनी पत्नी से कहा — "तुमने जो स्मृति दी, वह मेरा जीवन बन गई। तुमने जो बलिदान दिया, वह मेरी आत्मा का दीप बन गया।"

उस दिन से लेकर आज तक, राजस्थान की रेत जब हवा के संग सरसराती है, तो ऐसा लगता है मानो वही वीर नारी कह रही हो — "सच्चा प्रेम वही है जो त्याग में मुस्कुराए। सच्ची वीरता वही है जो आँसुओं से नहीं, कर्तव्य से चमके।"

वह नारी चली गई, पर उसकी कथा आज भी जीवित है। उसके त्याग ने यह सिद्ध किया कि स्त्री जब संकल्प ले ले, तो देवता भी झुक जाते हैं। वह केवल बलिदान नहीं, अमरता का प्रतीक बन जाती है। इतिहास की यह गाथा आज भी हर रणभूमि में गूँजती है — जहाँ भी कोई वीर तलवार उठाता है, वहाँ किसी नारी का आशीर्वाद अदृश्य रूप में उसके संग चलता है।

राहुल की प्रेस कांफ्रेंस यानी बिहार में हार की पेशबंदी

कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान से एक दिन पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर हरियाणा में डुप्लिकेट वोटर्स से लेकर बल्क वोटर्स तक, कैटेगरी वाइज आंकड़े भी बताए हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा चुके हैं। लेकिन वो चुनाव आयोग में शपथ पत्र देकर शिकायत और अदालत का दरवाजा नहीं उठाते हैं। बस प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से बेबुनियाद आरोप और दावे करते रहते हैं। असल में पटना से करीब 1100 किलोमीटर दूर जब राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग के किस्से सुना रहे थे तब ऐसा लग रहा था मानो वो बिहार में महागठबंधन की होने वाली हार के लिए पेशबंदी कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि कांग्रेस को डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य की मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील नहीं दायर की गई। राहुल गांधी के इस दावे को लेकर काफी विवाद हो रहा है। इनमें भी सबसे बड़ा विवाद तो ये है कि राहुल गांधी को ये कैसे पता चला कि जिन 22 वोटर कार्ड पर एक ही मॉडल ही तस्वीर है, उन वोटर कार्ड से चुनावों में वोट डाले गए हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी जिस वोटर लिस्ट को दिखाकर ये पूरा दावा कर रहे हैं, वो वोटर लिस्ट मतदान के बाद की नहीं बल्कि मतदान से पहले की है। सोचिए मतदान से पहले की वोटर लिस्ट से राहुल गांधी को ये कैसे पता चला कि इन वोटर कार्ड से चुनावों में वोटिंग भी हुई। मीडिया की पड़ताल में राहुल गांधी के दावे झूठे साबित हुए।

सवाल यह भी है कि अगर कोई गड़बड़ी थी तो कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स ने संशोधन के दौरान एक ही नाम की एक से अधिक प्रविष्टियों को रोकने के लिए कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की? वहीं अगर कई नामों के दोहराव से बचना था, तो संशोधन के दौरान कांग्रेस के बूथ-स्तरीय एजेंटों (बीएलए) ने कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं उठाई? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार और हरियाणा दोनों में कांग्रेस के बूथ एजेंटों ने संशोधन के दौरान दोहराए गए नामों को लेकर कोई दावा या आपत्ति नहीं दर्ज की। वही सवाल यह भी है कि वोटर लिस्ट चुनाव से पहले उपलब्ध होती है। अगर कोई नाम छूट गया है, तो उसे जुड़वाने की व्यवस्था होती है। वास्तव में, कांग्रेस और कई विपक्षी दल सत्ता हासिल करने के लिए किसी ने किसी बहाने देश की जनता को संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उकसाते रहते हैं। चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई से लेकर तमाम दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। राहुल गांधी तो चुनाव आयोग के अधिकारियों को खुली धमकी दे चुके हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो जांच करवाएगी। वैसे अब तक चुनाव आयोग और चुनाव प्रणाली को लेकर विपक्ष के आरोप फर्जी और बेबुनियाद ही साबित हुए हैं।

प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी ने मीडिया का परिचय बिहार के कुछ ऐसे लोगों से भी कराया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं और इन लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से उनके पास कभी कोई आया ही नहीं और बिना बताए उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। अब यहां पता है समस्या क्या आ रही है। समस्या ये है कि राहुल गांधी देश को ये बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट में क्या त्रुटियां हैं लेकिन चुनाव आयोग जब इन त्रुटियों को सुधारने के लिए वोटर लिस्ट का रिवीजन करना चाहता है तो वो इसका भी विरोध करते हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं या इसका विरोध? सवाल यह है कि जिन लाखों वोटरों का वोट कटा है, वो चुपचाप अपने घरों में बैठकर राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस का इंतजार क्यों कर रहे थे, उन्हें तो सड़कों पर उतर आना चाहिए था।

वास्तव में, राहुल गांधी एक अगंभीर राजनीतिज्ञ हैं। उनकी राजनीति का मकसद सेवा की बजाय मेवा खाना और कमाना है। देश की जनता से जुड़ाव दिखाने के लिए वो किसान, ड्राइवर, कारपेंटर, हलवाई, कुली या पुताई वाले का अभिनय करते दिखते तो जरूर हैं, लेकिन राजनीति और देश को लेकर उनकी समझ अल्प है।

वहीं उनकी एक समस्या यह भी है कि मोदी सरकार के खिलाफ वो जो आरोप लगाते हैं, उनका कोई ठोस आधार या प्रमाण उनके पास नहीं है। चौकीदार चोर है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर वोट चोरी तक उनके सारे दावे और आरोप हवा हवाई ही साबित हुए हैं। वहीं वो किसी एक मुद्दे पर टिकते नहीं हैं। मोदी सरकार के खिलाफ वो पिछले एक दशक में कई आरोप लगा चुके हैं। लेकिन चंद दिनों के शोर शराबे के बाद वो कोई नया आरोप लगाने लगते हैं। देश की जनता मोदी और राहुल गांधी के बीच का फर्क सही से समझ रही है। इसलिए कांग्रेस सत्ता से दूर है। राहुल गांधी के पास पक्के सुबूत हों तो उन्हें छाती ठोककर चुनाव आयोग में शपथ पत्र दाखिल कर शिकायत दर्ज करनी चाहिए, अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके आरोप केवल जनता को उकसाने के लिए हैं, संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं के प्रति नाराजगी का माहौल बनाने का है। कांग्रेस और विपक्ष के कई दलों का इको सिस्टम देश में अस्थिरता, अशांति और अराजकता का माहौल बनाने की फिराक में है। देशी राजनीतिक दलों के इन षड्यंत्रों में विदेशी ताकतें खद पानी मुहैया करवा रही हैं। आजकल राहुल गांधी जेन जी को बहला फुसलाकर सड़कों पर उतारना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी को रोकने के लिए भारत के जेन-जी युवाओं को आगे आना होगा। राहुल गांधी बार-बार जेन-जी युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वो भारत के युवाओं को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के उकसा रहे हैं?

अभियान

जब शिव की घंटी गूंजती है, तब थम जाता है समय: भारत के रहस्यमय मंदिरों की अलौकिक कथाएं

कहते हैं कि जब किसी मंदिर में घंटी बजती है, तो वह केवल एक आवाज नहीं होती—वह स्वयं ब्रह्मांड का नाद होता है, जो मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यह ध्वनि उस अनाहत शब्द का रूप है, जो सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक गूंज रहा है। हिंदू परंपरा में घंटी बजाना पूजा का आरंभिक संकेत नहीं बल्कि ईश्वर से संवाद की चाबी है। विशेष रूप से भगवान शिव के मंदिरों में इसका अर्थ और भी गहरा है। जहां भी शिव के चरणों के आगे घंटी की टंकार सुनाई देती है, वहां केवल धातु की आवाज नहीं, बल्कि चेतना का जागरण होता है। भारत में कुछ ऐसे दिव्य शिव मंदिर हैं, जहां घंटी की गूंज केवल परंपरा नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है।

तमिलनाडु के पवित्र नगर कांचीपुरम में स्थित कैलासनाथर मंदिर का रहस्य इसी चेतना से जुड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी में पल्लव शासकों द्वारा निर्मित यह मंदिर केवल पत्थरों की रचना नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक यंत्र है। कहते हैं, जब कोई भक्त यहां की घंटी बजाता है, तो उस ध्वनि से स्वयं के भीतर सोई हुई शक्ति जाग जाती है। वह क्षण ऐसा होता है जब मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है और ध्यान की स्थिति में प्रवेश करता है। यहां घंटी बजाना भगवान शिव को जगाने का संकेत नहीं बल्कि अपने भीतर की चेतना को जागृत करने का अभ्यास है। स्थानीय साधु कहते हैं कि कैलासनाथर मंदिर की घंटी में एक ऐसी अनोखी ध्वनि तरंग है जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। कहा जाता है कि जिसने इस मंदिर की घंटी सच्चे भाव से बजाई, उसके जीवन के सभी अवरोध स्वतः मिट गए। यहां की घंटी का स्वर मानो "ॐ" के अनंत कंपन का जीवित रूप है—जो शरीर, मन और आत्मा को एक लय में बांध देता है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की अद्भुत गुफाओं के पास स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का महत्व और भी अलौकिक है। यह मंदिर बारह ज्योतिर्लिंगों में अंतिम है, और इसी कारण इसे शिव का पूर्णतम रूप कहा जाता है। यहां भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले द्वार पर लगी घंटी बजानी होती है। यह एक साधारण परंपरा नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण की घोषणा है। जब घंटी की गूंज वातावरण में फैलती है, तो माना जाता है कि उसी क्षण भक्त की

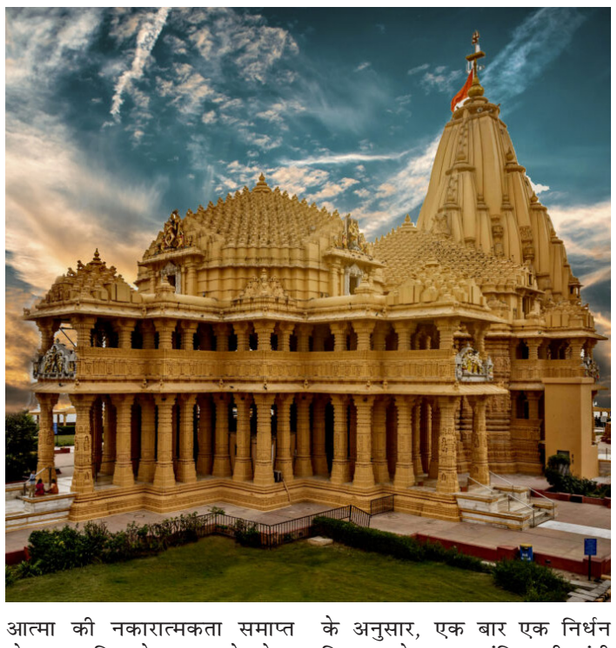

आत्मा की नकारात्मकता समाप्त होकर वह शिव के अनुग्रह के योग्य बन जाती है। पुराणों में कहा गया है कि घृष्णेश्वर की घंटी की ध्वनि से ब्रह्मांडीय ऊर्जा सक्रिय होती है—यह ऊर्जा भक्त के मन को शुद्ध करती है और उसकी इच्छाओं को साकार करती है। स्थानीय कथाओं के अनुसार, एक बार एक निर्धन किसान रोज इस मंदिर की घंटी बजाकर भगवान शिव से अपने कर्ज़ मुक्ति की प्रार्थना करता था। वर्षों बाद जब उसने वही घंटी दुबारा बजाई, तो उसके सारे ऋण मिट गए और जीवन में समृद्धि लौट आई। लोग मानते हैं कि वह केवल संयोग नहीं था, बल्कि घंटी के कंपन में छिपी शिव-कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। अब बात करें गुजरात के भावनगर जिले में स्थित प्रसिद्ध घंटेश्वर महादेव मंदिर की—तो यहां तो घंटियों की झंकार ही शिव का संगीत बन चुकी है। इस मंदिर का नाम ही इसकी पहचान है। यहां सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों छोटी-बड़ी घंटियां लटकती हैं जो हर हवा के झोंके के साथ एक अदृश्य स्वर में गूंज उठती हैं। यहां आने वाला हर भक्त पहले घंटी बजाता है, फिर भगवान के दर्शन करता है। परंपरा यह है कि जब भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वह मंदिर में एक नई घंटी चढ़ाता है। इसलिए यह मंदिर वर्षों से श्रद्धालुओं की अनेकों इच्छाओं का प्रतीक बन गया है—हर घंटी एक कहानी कहती है, हर झंकार एक प्रार्थना का उत्तर देती है। सावन के महीने में जब हजारों भक्त एक साथ "हर हर महादेव" का उच्चारण करते हैं और हवा में घंटियों की सामूहिक गूंज भर जाती है, तो वह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि वहां खड़ा व्यक्ति स्वयं को किसी स्वर्गिक लोक में अनुभव करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जब घंटी बजाई जाती है तो उसकी ध्वनि लगभग सात प्रकार की तरंगों में फैलती है—जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को शांत करती है, और वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। जब इन तरंगों का संपर्क मानव चेतना से होता है, तो भीतर की अव्यवस्था समाप्त हो जाती है और मन एक दिव्य शांति का अनुभव करता है। यही कारण है कि जब शिव मंदिरों में घंटी बजती है, तो वहां केवल ध्वनि नहीं बल्कि दिव्यता की तरंगें प्रवाहित होती हैं।

भारत के इन पवित्र शिव मंदिरों में घंटी बजाने का कार्य केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मानुभूति की यात्रा है। वह क्षण जब घंटी की ध्वनि गूंजती है, भक्त अपने अस्तित्व को भुलाकर केवल एक ऊर्जा, एक कंपन बन जाता है—वह स्वयं शिव हो जाता है। घंटी का हर स्वर यही कहता है: "थोड़ा ठहरो, भीतर देखो—शिव तुम्हारे भीतर ही है।" और जब यह बोध जाग जाता है, तब न समय रहता है, न मृत्यु—केवल नाद ही शेष रहता है, वही जो सृष्टि की पहली सांस में गूंजा था, वही जो आज भी हर मंदिर में, हर भक्त के हृदय में, शिव की घंटी बनकर झंकार रहा है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती – जनजातीय गौरव वर्ष का उत्सव

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अंबाजी से एकता नगर तक आयोजित होने वाली जनजातीय गौरव यात्रा को प्रस्थान कराया
- विधानसभा अध्यक्ष तथा राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की प्रेरक उपस्थिति
- 7 से 13 नवंबर तक अंबाजी से एकता नगर तथा उमरगाम से एकता नगर तक कुल 1,378 किलोमीटर की जनजातीय गौरव यात्रा का विशेष आयोजन
- राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के गौरवपूर्ण योगदान को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य के साथ राज्य के गाँवों में भ्रमण करेगी यात्रा
- स्वतंत्रता संग्राम में अग्रसर रहे आदिवासी बांधवों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमृतकाल के भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनाया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भगवान बिरसा मुंडा की डेढ़ सौवीं जयंती के उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही जनजातीय गौरव यात्रा का शुक्रवार को अंबाजी से प्रारंभ कराते हुए कहा कि जिसे कोई न पूछे, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पूजते हैं। श्री पटेल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अग्रसर रहे आदिवासियों को प्रधानमंत्री ने अमृतकाल के भारत की इस विकास यात्रा में भागीदार बनाया है। इतना ही नहीं; स्वतंत्रता वीर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की नई परंपरा भी उन्होंने 2011 से स्थापित की है। आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का उत्सव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से इस वर्ष मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में बिरसा मुंडा की अगुवाई में आदिजातियों के ऐतिहासिक योगदान को आज की पीढ़ी जाने तथा उससे राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा प्राप्त करे; इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस वर्ष को 'जनजातीय गौरव वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है।

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उत्सव के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर, 2025 के दौरान 'जनजातीय गौरव वर्ष महोत्सव' के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा 7 से 13 नवंबर तक राज्य के आदिजाति क्षेत्रों में जनजातीय गौरव यात्रा निकाली जाएगी; जिसमें रूट नंबर 1 उमरगाम से एकता नगर तक 665 किलोमीटर तथा रूट नं. 2 अंबाजी से एकता नगर तक 713 किलोमीटर सहित कुल 1,378 किलोमीटर में आदिजाति क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए इस 'जनजातीय गौरव रथयात्रा' का विशेष आयोजन किया गया है।

इस यात्रा के दौरान जनजातीय गौरव रथ जिन गाँवों में जाएगा, वहाँ लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा तथा रात्रि विराम स्थलों पर भगवान बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र पर नाटक मंचन, प्रदर्शन होंगे तथा केन्द्र-राज्य सरकार की योजनागत जानकारी भी लोगों को दी जाएगी।

यात्रा के माध्यम से उसके रूट पर स्थित गाँवों में स्वास्थ्य जाँच शिविर, सेवा सेतु, सामूहिक स्वच्छता सहित अनेक सेवाभावी कार्यक्रम जन भागीदारी से

आयोजित होंगे। बच्चे, युवा तथा समग्र समाज भगवान बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र से परिचित हों; ऐसे कार्यक्रम भी इस यात्रा के दौरान होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त; भगवान बिरसा मुंडा द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए दिए गए योगदान पर चित्रकला तथा वक्तव्य प्रतियोगिता, नाटक-भवाई एवं उनके जीवन पर आधारित व्याख्यान, फिल्म प्रदर्शन भी राज्य सरकार के विभागों द्वारा आयोजित होने वाले हैं। 14 आदिजाति जिलों के अलावा 20 जिलों में 13 से 15 नवंबर के दौरान जनजातीय गौरव वर्ष उत्सव के विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अंबाजी धाम से इस गौरव यात्रा को प्रस्थान कराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में आदिवासियों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हुए अनेक कल्याण कार्यक्रम साकार किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में आदिजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्कर्ष के लिए शुरू कराई गई वनबंधु कल्याण योजना की अवधि को राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 2025 तक बढ़ाया है। श्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि पीएम जनमन अभियान में राज्य के आदिम समूहों को प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास, आदिम समूह बस्तियों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए 21 मोबाइल टावर्स तथा 4जी सेवाएँ मिल रही हैं।

उन्होंने आदिकर्मयोगी अभियान अंतर्गत राज्य के 1 लाख 40 हजार से अधिक लोगों द्वारा आदिवासी ग्राम विजन 2030 तैयार करने में सहभागी होकर आदिजाति गाँवों के सर्वांगीण विकास का विलेज एक्शन प्लान तैयार किए जाने की सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत@2047 में इन आदिवासियों के उत्थान एवं योगदान; दोनों को महत्वपूर्ण बताया। इसके लिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल द्वारा अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने तथा स्थानीय आदिवासी हस्तकला एवं कारीगरी, खान-पान को प्रोत्साहन देकर जनजातीय गौरव को उजागर करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडाजी आदिवासी समाज के प्रेरणास्रोत तथा आदर्श व्यक्तित्व रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन द्वारा धर्म, संस्कृति एवं आदिवासी पहचान को बनाए रखने के अविरत प्रयास किए। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा अंधविश्वास को दूर करने के लिए जनजागृति फैलाई थी।

श्री चौधरी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने शिक्षा के प्रसार को विशेष महत्व दिया था और व्यसनमुक्ति के लिए अभियान चलाकर समाज सुधार का कार्य किया था। उन्होंने आश्रम की स्थापना कर समाज को एक नई दिशा दी थी, जो आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती है। भगवान बिरसा मुंडा ने अनेक मुश्किलों के बीच भी अंग्रेज सरकार की दमन नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उनके संघर्षमय जीवन से हम राष्ट्रीय एकता, आत्सम्मान तथा न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का योगदान भारत के इतिहास में अमर रहेगा।

आदिजाति विकास तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री पूनमचंद बरंडा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडाजी का जीवन संघर्ष, सेवा एवं समर्पण का रहा है। उन्होंने आदिवासी समाज को आत्मविश्वास तथा एकता का बल दिया था। आज राज्य सरकार आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए आदिजाति क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

जनजातीय गौरव यात्रा के शुभारंभ अवसर पर राज्य मंत्री सर्वश्री प्रवीणभाई माली, स्वरूपजी ठाकोर, कमलेशभाई पटेल, रमेशभाई कटारा, अग्रणी श्री रत्नाकरजी, राज्यसभा सदस्य श्री बाबूभाई देसाई, श्रीमती रमीलाबेन बारा, विधायक श्री अनिकेतभाई ठाकर,आदिजाति विभाग की प्रधान सचिव श्री शाहमीना हुसैन, पूर्व मंत्री श्री कुबेरभाई डिंडोर, श्री हरिभाई चौधरी, जिला कलेक्टर श्री मिहिर पटेल, जिला विकास अधिकारी श्री एम. जे. दवे, जिला पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत सुंबे सहित अधिकारी, महानुभाव, बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के अग्रणी एवं लोग उपस्थित रहे।

भावनगर रेल मंडल द्वारा पेंशनर्स हेतु डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शिविर का सफल आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल द्वारा मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) हेतु एक विशेष शिविर का आयोजन कम्युनिटी हॉल, भावनगर परा में किया गया। इस शिविर में 150 से अधिक पेंशनर्स ने भाग लिया। उन्हें डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया की कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन ने की। इस अवसर पर सहायक मंडल वित्त प्रबंधक

(लेखा) श्री संजय सक्सेना तथा AFA (W&S), भावनगर वर्कशॉप श्री रतनेश कुमार उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री हुबलाल जगन ने कहा कि "डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रणाली से पेंशनर्स को अत्यधिक सुविधा प्राप्त होती है, जिससे उन्हें बैंक या कार्यालय में बार-बार उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं रहती। यह व्यवस्था समय की बचत के साथ-साथ पारदर्शिता एवं सुगमता सुनिश्चित करती है।" उन्होंने सभी पेंशनर्स से इस डिजिटल सुविधा का अधिकाधिक लाभ लेने का आग्रह किया। श्री संजय सक्सेना एवं श्री रतनेश कुमार ने पेंशनर्स को डिजिटल प्रमाण पत्र पंजीकरण की तकनीकी प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी तथा उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर ऑल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने मंडल प्रशासन के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा करते हुए पेंशनर्स के हित में ऐसे शिविरों के नियमित आयोजन का अनुरोध किया।

कार्यक्रम का समन्वयन मंडल कार्मिक विभाग द्वारा किया गया। शिविर के दौरान पेंशनर्स को "जीवन प्रमाण पत्र" के डिजिटल पंजीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन (डेमो) भी कराया गया। भावनगर मंडल द्वारा आयोजित यह शिविर पेंशनर्स के हित में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय पहल सिद्ध हुआ, जिससे रेलवे के पेंशनरों को डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूकता एवं सुविधा दोनों प्राप्त हुईं।

अहमदाबाद मंडल पर राष्ट्रगीत "वंदे मातरम" के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्मरण उत्सव का आयोजन

(जीएनएस)। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 07.11.2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्षभर चलने वाले स्मरण समारोह का शुभारंभ किया। पूरे देश में मनाए जा रहे "राष्ट्रव्यापी उत्सव" के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर भी यह ऐतिहासिक अवसर पूर्ण श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया।

माननीय प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 150 वर्ष का प्रतीक, स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। यह वर्षभर 7 नवम्बर 2025 से 7 नवम्बर 2026 तक 4 चरणों में चलने वाला राष्ट्रव्यापी स्मरण उत्सव कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ का प्रतीक है, जो इस अमर रचना, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और आज भी राष्ट्रीय गर्व एवं एकता की भावना को प्रबल करती है। इस उत्सव

के दौरान "वंदे मातरम्" के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन देशभर के सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

वर्ष 2025 "वंदे मातरम्" के 150 वर्ष पूरे होने का प्रतीक वर्ष है। हमारे राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" की रचना बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवम्बर 1875 को अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर की थी। "वंदे मातरम्" पहली बार उनके उपन्यास आनंदमठ के रूप में साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ था।

अहमदाबाद मंडल पर इस स्मरण उत्सव समारोह का मुख्य आयोजन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद में किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए। समारोह में उपस्थित सभी ने एक स्वर में "वंदे मातरम" का सामूहिक गायन किया, जिससे संपूर्ण परिसर देशभक्ति, एकता और गर्व की भावना से गूंज उठा। इस दौरान नई दिल्ली में आयोजित उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण भी देखा गया गया। "वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का प्रतीक है। यह गीत हमारे देश की एकता, समर्पण और मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को सशक्त करता है।"

अहमदाबाद मंडल के विभिन्न स्टेशनों, कार्यालयों, डिपो, वर्कशॉप, रेलवे हॉस्पिटल, ट्रेनिंग सेंटर एवं डीजल शेड साबरमती में भी "वंदे मातरम" के सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी स्थान देशप्रेम और भारतीय सांस्कृतिक गौरव की भावना से ओतप्रोत रहे।

साथ ही, मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर "वंदे मातरम" से संबंधित विशेष ऑडियो संदेश, उद्घोषणाएं तथा एलईडी डिस्प्ले के माध्यम से यात्रियों को राष्ट्रगीत के इतिहास और महत्व की जानकारी प्रदान की जा रही है। यह जनजागरण पहल आगामी एक वर्ष तक निरंतर जारी रहेगी।

पश्चिम रेलवे ने "वन्दे मातरम्" की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में "वन्दे मातरम्" का पूर्ण संस्करण प्रस्तुत किया

"एक गीत... एक राष्ट्र... एक भावना - वन्दे मातरम् हम सबको जोड़ता है"

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ "वन्दे मातरम्" गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत - "वन्दे मातरम्" के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर, 2025 को चर्चगेट स्थित पश्चिम रेलवे मुख्यालय में इस गीत के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन आयोजित किया गया। यह समारोह भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य समारोह के साथ आयोजित किया गया। मुख्यालय में यह कार्यक्रम पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित किया गया और इसमें प्रमुख विभागाध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव के अनुरूप हमारे राष्ट्रगीत के 150 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में राष्ट्र के प्रति एकता, सद्भाव और समर्पण के साझा आदर्शों की पुष्टि करने के लिए मुख्यालय कार्यालय, सभी मंडलों और कारखानों सहित पश्चिम रेलवे पर "वन्दे मातरम्" का सामूहिक गायन आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम देशभक्ति के जोश और उत्साह के साथ आयोजित किया गया और इसमें सभी स्तरों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय

भागीदारी देखी गई, जो गर्व और देशभक्ति की भावना से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल हुए।

वर्ष 2025 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित "वन्दे मातरम्" की रचना के 150 वर्ष पूरे हो जाएँगे। यह गीत अक्षय नवमी (7 नवंबर 1875) के दिन लिखा गया था और पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में उनके उपन्यास आनंदमठ के एक अंश के रूप में प्रकाशित हुआ था। दशकों से यह गीत भारत की स्वतंत्रता, एकता और राष्ट्रीय गौरव का अमर प्रतीक बन गया है।

इस सामूहिक पहल के माध्यम से पश्चिम रेलवे गर्वपूर्वक राष्ट्र के साथ इस ऐतिहासिक अवसर का उत्सव मनाते हुए, "वन्दे मातरम्" की भावना के अनुरूप देशभक्ति, सेवा एवं समर्पण के आदर्शों को सशक्त बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।

राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गौरवशाली 150 वर्ष, वडोदरा मंडल पर रेलकर्मियों ने किया सामूहिक गायन

(जीएनएस)। स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने वाले वन्दे मातरम् की रचना आज से 150 वर्ष पूर्व हुई थी। भारत के राष्ट्रीय गीत "वन्दे मातरम्" के 150 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर नई दिल्ली में आज संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। इसी क्रम में पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल कार्यालय, एकता नगर एवं वडोदरा स्टेशनों पर बड़ी संख्या में रेलकर्मियों ने उपस्थित रह कर राष्ट्र गीत का सामूहिक गायन किया। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2025 में वंदे मातरम गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस राष्ट्रीय गीत ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और सदा ही राष्ट्रीय गौरव एवं एकता का अलख जगाता रहा है। राष्ट्रीय गीत "वन्दे मातरम्* के 150 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर वडोदरा मंडल के मंडल कार्यालय में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री नीरज धमीजा के मार्गदर्शन में मंडल कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल में समारोह

का आयोजन किया गया, जिसमें रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित हो कर नई दिल्ली में इस अवसर पर आयोजित समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ वीडियो लिंक के माध्यम से मंडल कार्यालय में सामूहिक गायन किया और देशभक्ति को नमन किया।

इसके साथ ही वडोदरा मंडल के एकता नगर एवं वडोदरा स्टेशन पर स्टेशन कर्मियों ने राष्ट्रभक्ति और एकता के प्रतीक राष्ट्रीय गीत का सामूहिक वाचन किया। मंडल पर इस समारोह का समन्वय एवं सफल आयोजन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री तेजराम मीना के नेतृत्व में कार्मिक विभाग की टीम द्वारा किया गया। श्री सक्सेना ने आगे बताया कि श्री बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अक्षय नवमी के पावन अवसर पर, 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में उनके उपन्यास आनंदमठ के एक अंश के रूप में प्रकाशित हुआ था। मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक बताते हुए इस गीत ने भारत की एकता और आत्मगौरव की जागृत भावना को काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी। यह गीत जल्द ही राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक चिरस्थायी प्रतीक बन गया।

वडोदरा मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर ऑडियो संदेश एवं विशेष उद्घोषणाएं प्रसारित की जा रही हैं, साथ ही स्टेशनों पर लगे एलईडी डिस्प्ले के माध्यम से भी "वंदे मातरम" से संबंधित जानकारी आज से पूरे वर्षभर प्रदर्शित की जाएगी।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं दुर्गापुरा के बीच चलाएगी स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए तथा अतिरिक्त यात्री यातायात की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस एवं दुर्गापुरा स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 09730/09729 बांद्रा टर्मिनस – दुर्गापुरा सुपरफास्ट स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09730 बांद्रा टर्मिनस-दुर्गापुरा सुपरफास्ट स्पेशल सोमवार, 10 नवंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 10:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 05:30 बजे दुर्गापुरा पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09729 दुर्गापुरा-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल रविवार, 9 नवंबर, 2025 को दुर्गापुरा से 12:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर और बनस्थली निवाई स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन 09730 की बुकिंग 08 नवम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है।

श्री पटेल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में कहा, "गुजरात में पिछले दो दशकों में न हुई हो, ऐसी असाधारण बेमौसम बारिश इस वर्ष होने से राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है।"

उन्होंने कहा, "इस संदर्भ में मैंने तथा मेरे सहयोगी मंत्रियों ने अलग-अलग जिलों में जाकर प्रभावित किसानों के साथ प्रत्यक्ष बातचीत कर उनकी स्थिति जानी।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार धरतीपुत्रों की व्यथा को समझ कर पूरी संवेदना से उनके साथ खड़ी है।

उन्होंने कहा, "राज्यभर के किसानों की फसलों को हुए व्यापक नुकसान के समक्ष उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर मैं राज्य सरकार की ओर से धरतीपुत्रों के लिए लगभग 10 हजार करोड़ रुपए के राहत-सहायता पैकेज की घोषणा करता हूँ।"

उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार 9 नवंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की मूंगफली, मूंग, उड़द तथा सोयाबीन की खरीद भी करने जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, "मैं विश्वास देता हूँ कि राज्य सरकार अन्नदाताओं की आर्थिक सुख-समृद्धि की चिंता अपने सिर लेकर उनकी सहायता के लिए सदैव प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी।"

बेमौसम बारिश से कृषि फसलों को हुए व्यापक नुकसान से धरतीपुत्रों को उबारने के लिए राज्य सरकार की संपूर्ण संवेदना

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित किसानों की सहायता के लिए अब तक का सबसे बड़ा लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का ऐतिहासिक सहायता पैकेज घोषित किया
- सिंचित एवं असिंचित फसलों के लिए एक समान मानदंड पर सहायता देने का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का ऐतिहासिक निर्णय
- हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से उत्पन्न असाधारण स्थिति में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार किसानों पर आन पड़ी विपदा की घड़ी में भारी सहायता पैकेज के साथ खड़ी रही
- 33 जिलों की 251 तहसीलों के 16,500 से अधिक गाँवों के किसानों को हुए फसल नुकसान का सर्वेक्षण 5100 टीमों ने किया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में बेमौसम बारिश तथा मौसम में बदलाव के कारण उत्पन्न हुई असाधारण स्थिति में कृषि फसलों को हुए नुकसान से किसानों को तेजी से उबारने के लिए अब तक का सबसे बड़ा लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का ऐतिहासिक सहायता पैकेज घोषित किया है। राज्य सरकार ने धरतीपुत्रों पर आन पड़ी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हर विपदा में उनके साथ पूरी सहानुभूति के साथ खड़े रहकर कृषि फसलों के नुकसान के समक्ष समय-समय पर उदारतम सहायता पैकेज दिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के हितों के लिए जो अनेक कल्याणकारी कदम उठाए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल किसान हितकारी दृष्टिकोण से निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं।

इस वर्ष हाल ही में हुई बेमौसम व्यापक बारिश से किसानों की खड़ी फसलों को कटाई के समय ही अधिकतम आर्थिक नुकसान झेलने की नौबत आई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उदारतम सहायता से किसानों को इस नुकसान से यथासंभव शीघ्रता से उबारने का संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है।

राज्य में अब तक दिए गए राहत सहायता पैकेज के इतिहास में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सिंचित एवं असिंचित फसलों को एक समान फसल नुकसान क्षतिपूर्ति (मुआवजा) देने का महत्वपूर्ण संवेदनशील निर्णय किया है। राज्य के किसानों को हाल की बेमौसम बारिश से हुए फसल नुकसान के समक्ष इस निर्णय के अनुसंधान में 22 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर दो हेक्टेयर की सीमा में सहायता राज्य सरकार देगी।

कृषि फसलों को जो व्यापक नुकसान की मार झेलनी पड़ी है, उससे किसानों को तेजी से उबारने के लिए राज्य सरकार इस राहत-सहायता पैकेज अंतर्गत लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की सहायता चुकाएगी।

मुख्यमंत्री इस प्राकृतिक आपदा में लगातार किसानों की चिंता कर उनके साथ खड़े रहे हैं। इतना ही नहीं; उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में बेमौसम वर्षा की तबाही से प्रभावित हुए 251 तहसीलों के 16,500 से अधिक गाँवों के किसानों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण 3 दिनों में पूर्ण करने के लिए 5 हजार से अधिक टीमों को दिन-रात कार्यरत करने के दिशा-निर्देश दिए थे। इन दिशा-निर्देशों के चलते कृषि विभाग तथा सम्बद्ध विभागों एवं जिला प्रशासनों ने निरंतर तत्परता के साथ 24X7 कार्य करके फसल नुकसान का सर्वेक्षण कार्य किया। मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों को वर्षा प्रभावित क्षेत्रों की स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्बद्ध जिलों के दौरे करने के निर्देश भी दिए थे।

इन निर्देशों के चलते उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने सूरत जिले, कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने भावनगर, आदिजाति विकास मंत्री श्री नरेशभाई पटेल ने तापी, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने जूनागढ तथा गीर सोमनाथ और राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया ने अमरेली जिले का प्रत्यक्ष दौरा किया और मौके पर नुकसान की जानकारी प्राप्त कर मुख्यमंत्री को विवरण दिया। मुख्यमंत्री स्वयं भी गीर सोमनाथ तथा जूनागढ जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचे और उन्होंने धरतीपुत्रों की व्यथा संवेदनशीलता के साथ सुनकर उन्हें सांत्वना दी थी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के मंत्रियों सर्वश्री जीतूभाई वाघाणी, ऋषिकेशभाई पटेल, कुँवरजीभाई बावळिया, अर्जुनभाई मोढवाडिया तथा रमणभाई सोलंकी के साथ बैठक आयोजित कर इन समग्र विवरणों की विस्तृत समीक्षा की तथा विचार-विमर्श किया। उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में सहभागी हुए।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य सरकार ने व्यापक नुकसान से प्रभावित हुए धरतीपुत्रों के साथ आकर राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का भारी सहायता पैकेज देने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा घोषित यह उदारतम सहायता पैकेज प्रभावित किसानों को आर्थिक नुकसान से तेजी से उबार कर पूर्ववत होने में उपकारी सिद्ध होगा।

‘वंदे मातरम्’ के 150 साल पर सियासी और धार्मिक संग्राम: मोदी के कटाक्ष से उठी लपटें, कश्मीर से कांग्रेस तक मचा बवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “टुकड़े-टुकड़े” वाले बयान ने देश की राजनीति में नई आग सुलगा दी है। जहां प्रधानमंत्री ने 1937 में कांग्रेस द्वारा गीत के “टुकड़े” किए जाने का जिक्र करते हुए विपक्ष पर प्रहार किया, वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार कर बीजेपी और आरएसएस को घेर लिया। इसी बीच जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् के गायन को लेकर धार्मिक विवाद गहराता जा रहा है, जिसने इस सांस्कृतिक उत्सव को एक नए ‘धर्मयुद्ध’ का रूप दे दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करते हुए कहा कि “1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम् के कुछ महत्वपूर्ण पदों को अलग कर दिया था, उसकी आत्मा को टुकड़ों में बांट दिया गया। यही विभाजन आगे चलकर देश के बंटवारे की भूमिका बना।” प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि “वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण का महामंत्र है, जिसने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति की ज्वाला भरी।”

लेकिन पीएम के इस भाषण के तुरंत बाद ही कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि “कांग्रेस के हर आयोजन में वंदे मातरम् और जन गण मन दोनों गाए जाते हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने अपनी शाखाओं या कार्यालयों में कभी इन राष्ट्रगानों का गायन नहीं किया। वे ‘नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे’ गाते हैं, जो राष्ट्र नहीं बल्कि संगठन का गुणगान है।” उन्होंने आरएसएस पर यह आरोप भी लगाया कि उसने 1925 में अपनी स्थापना के बाद से ही राष्ट्रगीत से दूरी बनाए रखी है।

उधर, विवाद की दूसरी परत कश्मीर घाटी से उठी है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में आदेश जारी किया कि सभी स्कूलों में वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रगीत गाया जाए। इस पर मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (MMU) ने कड़ा विरोध जताया है। संगठन के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक ने बयान दिया कि “सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आड़ में हिंदुत्व विचारधारा थोपने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम छात्र राष्ट्रगीत नहीं गा

सकते क्योंकि इसके कुछ अंश इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ हैं।” उन्होंने चेतावनी दी कि “अगर किसी मुस्लिम छात्र को जबरन वंदे मातरम् गाने पर मजबूर किया गया तो इसका विरोध होगा।”

मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वंदे मातरम् गीत में भारत माता की वंदना देवी के रूप में की जाती है, जो इस्लाम में बुतपरस्ती (मूर्तिपूजा) मानी जाती है। उनके अनुसार मुसलमान केवल अल्लाह के आगे सिर झुका सकते हैं, इसलिए राष्ट्रगीत के कुछ अंश धार्मिक रूप से अस्वीकार्य हैं।

इस विवाद की जड़ इतिहास में है। 1937 में जब हिंदू-मुस्लिम मतभेद बढ़ रहे थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी शामिल थे। इस समिति ने तय किया था कि वंदे मातरम् के केवल पहले दो पद ही गाए जाएंगे, क्योंकि बाद के पदों में दुर्गा और सरस्वती जैसी देवियों के उल्लेख से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने उसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि “वंदे मातरम् का विभाजन ही आगे चलकर भारत के विभाजन का बीज बना।” उनके इस बयान को विपक्ष ने “राजनीतिक भड़काव” और “इतिहास की विकृत व्याख्या” करार दिया है।

वंदे मातरम् का इतिहास बताता है कि इसे बंकिमचंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था और 1882 में अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। 1896 में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया। उस समय यह गीत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया था, यहां तक कि अंग्रेज इस गीत के उल्लेख से भी घबराने लगे थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम् के जयघोष के साथ हजारों भारतीय फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन गीत की आवाज दबाई नहीं जा सकी।

आजादी के बाद संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम् को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी, जबकि जन गण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। दोनों को समान सम्मान देने की बात कही गई।

लेकिन अब, जब 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो वंदे मातरम् एक बार फिर राजनीति और धर्म के बीच घिर गया है। प्रधानमंत्री मोदी के कटाक्ष के बाद बीजेपी समर्थक इसे “राष्ट्र गौरव बनाम तुष्टीकरण” का मुद्दा बता रहे हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इतिहास को तोड़-मरोड़ रही है।

कश्मीर में जारी विरोध ने इस विवाद को और जटिल बना दिया है। कई शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों का मानना है कि राष्ट्रगीत को धार्मिक नजरिए से देखने के बजाय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक बयानबाज़ी ने इस विवाद को ‘भारत माता बनाम इस्लामी पहचान’ के संघर्ष में बदल दिया है।

देश में जब आज भी लाखों लोग “वंदे मातरम्” कहते हुए गर्व महसूस करते हैं, तो वहीं एक तबका इसे धार्मिक सीमा में बांधने की कोशिश कर रहा है। सवाल यही है — क्या राष्ट्रगीत की आत्मा को फिर से “टुकड़ों” में बांटा जा रहा है? और क्या 150 साल बाद भी यह गीत एकता का प्रतीक बनेगा या राजनीति के रंगों में फिर डूब जाएगा?

दिल्ली में भूख पर वार: शुरू होगी अटल कैंटीन योजना, पांच रुपये में मिलेगा गरम पौष्टिक भोजन

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में गरीबों और श्रमिकों के लिए खुशखबरी लेकर आई है रेखा गुप्ता सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को ऐलान किया कि जल्द ही दिल्ली में ‘अटल कैंटीन योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत नागरिकों को मात्र पांच रुपये में गरम, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना न केवल दिल्ली के गरीबों के लिए राहत साबित होगी, बल्कि सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा के विचार को भी मजबूत करेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के पहले चरण में राजधानी के सौ स्थानों पर अटल कैंटीन शुरू की जाएंगी। इसके लिए स्थानों का चयन पहले ही कर लिया गया है। इन कैंटीनों का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि संचालन की जिम्मेदारी चयनित संस्थाओं को सौंपी जा रही है और इसके लिए एक विशेष समिति द्वारा मेन्यू, वितरण प्रणाली और प्रबंधन व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक अटल कैंटीन में दाल, चावल, रोटी और सब्जी का सरल किंतु पौष्टिक भोजन मिलेगा। हर केंद्र पर सुबह और शाम 500-500 थालियां परोसी जाएंगी। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। वितरण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। हर केंद्र पर सीसीटीवी निगरानी और ड्यूसिब के डिजिटल प्लेटफॉर्म से रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी रसोईघर आधुनिक उपकरणों से लैस होंगे। गैस आधारित खाना पकाने की व्यवस्था, इंडस्ट्रियल आरओ जल प्रणाली और ठंडा भंडारण सुविधा को अनिवार्य किया गया है। भोजन की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच FSSAI और NABL प्रमाणित प्रयोगशालाओं द्वारा की जाएगी। कैंटीन संचालित करने वाली एजेंसियों को हर महीने अपने रिकॉर्ड, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र और खाद्य सुरक्षा लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा।

काशी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, नई वंदे भारत एक्सप्रेस से गूंज उठी बनारस की धरती

(जीएनएस)। वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे तो पूरा बनारस स्वागत के रंग में रंग गया। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता ने पुष्प वर्षा और नारों के बीच उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री दो दिन के दौरे पर काशी आए हैं, जहां वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और शनिवार को चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर वाराणसी में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर बरेका गेस्टहाउस तक का पूरा मार्ग पुलिस और एसपीजी की निगरानी में सील कर दिया गया। प्रधानमंत्री के काफिले के गुजरने से पहले पूरे मार्ग पर एंटी-ड्रोन यूनिट, स्नाइपर, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की तैनाती की गई थी। काशी में उनके करीब 16 घंटे के प्रवास को देखते हुए शहर को मानो किले में तब्दील कर दिया गया है।

एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला सीधे बरेका गेस्टहाउस पहुंचा, जहां उनके रात्रि विश्राम का प्रबंध है। गेस्टहाउस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 2025 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों और वाराणसी क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई।

शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी बरेका गेस्टहाउस से बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से वे चार नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करेंगे। इनमें प्रमुख है बनारस-खजुराहो वाया चित्रकूट मार्ग की वंदे भारत एक्सप्रेस, जो न केवल धार्मिक पर्यटन को नया आयाम देगी बल्कि मध्य भारत के कई जिलों को तीव्र रेल संपर्क भी प्रदान करेगी। इसके अलावा तीन अन्य वंदे भारत ट्रेनें भी अलग-अलग राज्यों में शुरू की जाएंगी।

काशी रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम को वंदे भारत एक्सप्रेस का अंतिम ट्रायल किया गया। यह ट्रेन साज-

सज्जा के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लगाई गई और प्रधानमंत्री के हरी झंडी दिखाने के स्थान पर सटीक परीक्षण किया गया। ट्रायल के दौरान ट्रेन को निर्धारित गति और रोक बिंदुओं पर चलाकर सभी तकनीकी पैरामीटर जांचे गए। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन पूरी तरह तैयार है और पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद नियमित रूप से चलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि नई बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों का करीब पौने तीन घंटे का समय बचाएगी। ट्रेन सुबह 8:05 बजे बनारस से रवाना होकर 10:02 बजे विंध्याचल, 11:10 बजे प्रयागराज छिवकी, 13:12 बजे चित्रकूट धाम करवी, 14:15 बजे बांदा और 15:15 बजे महोबा होते हुए शाम 4:25 बजे खजुराहो पहुंचेगी। इस तेज गति वाली ट्रेन से अब वाराणसी से खजुराहो की दूरी मात्र आठ घंटे से भी कम में तय हो सकेगी।

प्रधानमंत्री के काशी दौरे को लेकर शहर में उत्सव जैसा माहौल है। बनारस रेलवे स्टेशन को रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। घाटों पर दीयों की झिलमिलाहट और गलियों में सजे बैनरों ने शहर को त्योहार की शक्ल दे दी है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। काशी में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि स्टेशन से लेकर बरेका गेस्टहाउस तक पूरा इलाका नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है। आसपास की इमारतों की छतों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और सीसीटीवी तथा ड्रोन कैमरों से पल-पल की निगरानी की जा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को केवल राजनीतिक या प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि काशी के विकास के एक और अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए काशी, चित्रकूट और खजुराहो जैसे तीर्थों का रेल संबंध और भी प्रबल होगा। यह केवल यात्रा की गति नहीं बढ़ाएगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता के नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनेगा।

शनिवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस रेलवे स्टेशन से नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, तब पूरे शहर में घंटों और शंखनाद की गूंज के बीच ‘हर हर महादेव’ और ‘मोदी- मोदी’ के जयकारे एक साथ गूंजेंगे — और काशी एक बार फिर विकास और आध्यात्मिकता के संगम की साक्षी बनेगी।

गुजरात की लिफ्ट पाइपलाइन तकनीक ने बदली आदिवासी अंचलों की खेती की तस्वीर, 1 लाख 39 हजार एकड़ से अधिक खेतों तक पहुँची सिंचाई सुविधा

- लिफ्ट पाइपलाइन तकनीक के लिए पिछले 7 सालों में 5115 करोड़ हुए खर्च
- आदिवासी गाँवों के 1,39,510 एकड़ भूमि तक पहुँची सिंचाई सुविधा
- वनबन्धु कल्याण योजना और 2.0 बनी आदिवासी किसानों के लिए वरदान

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात के आदिजाति क्षेत्रों में कृषि व किसानों को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ गुजरात सरकार ने लिफ्ट पाइपलाइन तकनीक का उपयोग कर बड़े स्तर पर आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा पहुँचाने में सफलता हासिल की है। राज्य सरकार ने पिछले 7 सालों में बड़ी राशि 5115 करोड़ खर्च कर आदिवासी क्षेत्र की 1,39,510 एकड़ से अधिक खेतों को सिंचाई से कवर किया है।

उल्लेखनीय है कि लिफ्ट पाइपलाइन तकनीक के लिए मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने मात्र तीन सालों (2023, 2024, और 2025) में 2212 करोड़ से अधिक खर्च किया है। वहीं, इसके पहले के चार सालों (2019, 2020, 2021और 2022) में राज्य सरकार ने 2903 से अधिक खर्च आदिवासी क्षेत्रों तक सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने का काम किया है।

आदिवासी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे इरीगेशन कवर के संदर्भ में गुजरात के जल संसाधन एवं जल वितरण मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल ने बताया, “कृषि और किसानों की समृद्धि हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। हमारे मार्गदर्शक और दूरदर्शी नेता श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वनबन्धु कल्याण योजना को शुरू किया था। इसी योजना के अंतर्गत लिफ्ट पाइपलाइन तकनीक का उपयोग कर हम राज्य के 6 आदिवासी जिलों के 708 गाँवों के किसानों को बारहमासी सिंचाई सुविधा पहुँचाने में सफल रहे हैं। अब हम वनबंधु कल्याण योजना 2.0 के तहत राज्य के शेष आदिवासी क्षेत्रों को भी संपूर्ण सिंचाई युक्त बनाने के लिए कई बड़ी परियोजनाएँ संचालित कर रहे हैं जिसमें बड़ी राशि3,779 करोड़ रुपए खर्च कर आदिवासी क्षेत्र के लगभग 1,44,164 एकड़ से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन्हें हम आगामी तय समय में पूरा कर लेंगे।”

वनबन्धु कल्याण योजना बनी आदिवासी किसानों के लिए वरदान

गुजरात सरकार की वनबंधु कल्याण योजना के तहत लागू की गई लिफ्ट पाइपलाइन तकनीक आदिवासी किसानों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुई है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने से पहले इन क्षेत्रों में सिंचाई और किसानों की स्थिति काफी चिंताजनक थी। अब इस क्षेत्र के किसान बारहमासी सिंचाई सुविधा का उपयोग कर पूरे साल फसल ले रहे हैं और इससे उनकी आय, उनकी जीवनशैली और जीवन गुणवत्ता में काफी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसी क्रम में शेष आदिवासी क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक से युक्त सिंचाई सुविधा पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने वनबंधु कल्याण योजना 2.0 को लागू किया है और इसके अंतर्गत कई परियोजनाएँ अभी प्रगतिशील हैं।

जानें क्या है लिफ्ट पाइपलाइन तकनीक और क्या हैं इसके लाभ

लिफ्ट पाइपलाइन तकनीक का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पानी का स्तर खेतों के स्तर से नीचे होता है। यह तकनीक पहाड़ी क्षेत्रों, शुष्क क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी होती है जहां पानी की कमी होती है। यह एक आधुनिक सिंचाई प्रणाली है, जिसमें पाइपों के माध्यम से पानी को पंप करके ऊपर उठाकर उँचे भूमि स्तर के खेतों तक पहुंचाया जाता है। इस तकनीक से सिंचाई में पानी का न्यूनतम नुकसान होता है, क्योंकि पानी सीधे खेतों तक पहुंचता है। साथ ही, पारंपरिक सिंचाई विधियों की तुलना में लिफ्ट पाइपलाइन तकनीक में कम श्रम लगता है और नियमित और पर्याप्त पानी की आपूर्ति से फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आदिशक्ति मां अंबा के दर्शन किए

मुख्यमंत्री ने मां अंबा की पूजा-अर्चना कर राज्य की शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को आदिशक्ति धाम अंबाजी में जगतजननी मां अंबा के दर्शन किए और राज्य की शांति, समृद्धि एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अंतर्गत आयोजित जनजातीय गौरव यात्रा का शुभारंभ करने के लिए अंबाजी पहुंचे थे। यात्रा से पूर्व उन्होंने अंबाजी मंदिर में भावपूर्वक पूजा-अर्चना की।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी और राज्य मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी सहित कई अग्रणी और अधिकारी भी मौजूद रहे।

पश्चिम रेलवे चलायेगी अहमदाबाद और बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग व सुविधा को ध्यान में रखते अहमदाबाद और बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 05262/05261 अहमदाबाद-बरौनी-अहमदाबाद स्पेशल (4 ट्रिप)

ट्रेन संख्या 05262 अहमदाबाद-बरौनी स्पेशल 13 और 14 नवंबर 2025 को अहमदाबाद से 14:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 04.30 बजे बरौनी पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 05261 बरौनी-अहमदाबाद स्पेशल 11 और 12 नवंबर 2025 को बरौनी से 22:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 08.00 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन आनंद, छायापुरी, गोधरा, रतलाम, नागदा, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुडवारा, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर और शाहपुर पटोरी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 3 टियर इकॉनमी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 05262 की बुकिंग 09 नवंबर, 2025 से यात्री आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा फैसला—इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बहनोई और वकील समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका ठुकराई

(जीएनएस)। प्रयागराज। चर्चित उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े एक अहम मोड़ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉ. अखलाक अहमद, उनके वकील विजय मिश्र, नौकर और ड्राइवर की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की एकलपीठ ने 29 अक्टूबर को सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया। अदालत ने माना कि आरोपियों की रिहाई से मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और जांच पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, डॉ. अखलाक अहमद पर फरार आरोपी गुड्डू मुस्लिम को अपने मेरठ स्थित आवास में शरण देने का गंभीर आरोप है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम मेरठ भागा था, जहां उसने कई दिनों तक डॉ. अखलाक के घर में पनाह ली थी। गुड्डू मुस्लिम फिलहाल पांच लाख रुपये का इनामी अपराधी घोषित किया जा चुका है। राज्य सरकार और उमेश पाल की पत्नी जया पाल की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत में कहा कि आरोपी किसी न किसी रूप में हत्या की साजिश में शामिल रहे हैं। उनका तर्क था कि यदि इनकी जमानत दी जाती है, तो गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे को कमजोर करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

वहीं, डॉ. अखलाक अहमद के अधिवक्ता ने जमानत के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल एक प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं और घटना के दिन स्थल पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि अखलाक न तो एफआईआर में नामजद हैं और न ही किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य में उनका उल्लेख है। केवल अतीक अहमद के रिश्तेदार होने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया है।

अतीक अहमद के वकील विजय मिश्र ने भी अदालत से गुहार लगाई कि उन्हें केवल मुवक्किल के बचाव में पैरवी करने की वजह से फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि कानूनन किसी अधिवक्ता को उसके पेशेवर दायित्व निभाने के लिए अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। बचाव पक्ष का कहना था कि जांच एजेंसियां केवल दबाव में आकर कार्रवाई कर रही हैं।

हालांकि, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अदालत को बताया कि इस मामले में अब तक आरोप तय होने की प्रक्रिया चल रही है और प्रमुख आरोपी शाइस्ता परवीन, जैनब (अशरफ की पत्नी) और गुड्डू मुस्लिम सहित सात आरोपी अब भी फरार हैं। ऐसे में किसी भी आरोपी को रिहा करना न्यायिक प्रक्रिया के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आरोपियों की जमानत मंजूर करना न्यायहित में नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस तरह के गंभीर मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोई भी संभावना टाली जानी चाहिए।

गौरतलब है कि फरवरी 2023 में प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में विधायक रहे उमेश पाल की गोली और बम से हत्या कर दी गई थी। यह घटना उस समय देशभर में चर्चा का विषय बनी जब हमले का वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटे असद अहमद, और कई अन्य लोगों पर हत्या की साजिश का आरोप लगा था। असद अहमद बाद में झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जबकि अतीक और अशरफ को प्रयागराज में पुलिस हिरासत में रहते हुए ही गोली मार दी गई।

अब जब अदालत ने अतीक अहमद के परिजनों और सहयोगियों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है, तो यह साफ हो गया है कि न्यायालय इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रहा है।

सूरत में 16 साल बाद मिला इंसाफ : पैसे के विवाद में सेठ की हत्या कर फरार हुआ आरोपी मजदूर बनकर जी रहा था दोहरी ज़िंदगी, क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार

(जीएनएस)। सूरत। कहा जाता है कि अपराध चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। इस कहावत को सच साबित किया है सूरत पुलिस ने, जिसने 16 साल पहले दिल्ली में हुई एक हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी वर्षों से अपनी पहचान छिपाकर गुजरात के सूरत में मजदूर बनकर रह रहा था, लेकिन किस्मत ने आखिरकार उसका साथ छोड़ दिया और क्राइम ब्रांच की पैनी नजरों से वह बच नहीं सका।

घटना की जड़ें साल 2009 में दिल्ली के बिंदापुर थाना क्षेत्र से जुड़ी हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस समय पैसों के लेन-देन को लेकर एक व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे उसका ही कर्मचारी था, जो अपने मालिक से पैसों के विवाद में उलझ गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपने सेठ की हत्या कर दी और वारदात के तुरंत बाद फरार हो गया। पुलिस ने उस वक्त जांच शुरू की लेकिन आरोपी मानो जमीन निगल गई या आसमान खा गया — उसका कोई सुराग नहीं मिला।

इस हत्या में आरोपी का एक साथी बनारसी लाल भी शामिल था। दोनों ने मिलकर व्यापारी की हत्या के बाद दिल्ली से फरार होकर अलग-अलग शहरों में पनाह ली। दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में छापेमारी की, लेकिन आरोपी हमेशा एक कदम आगे रहा।

पुलिस की खोजबीन के बीच समय बीतता गया और धीरे-धीरे केस पुराना पड़ता गया। लेकिन क्राइम ब्रांच की फाइल में यह मामला कभी बंद नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस को हाल ही में एक गुप्त सूचना मिली कि हत्या का मुख्य आरोपी गुजरात के सूरत में मजदूर के रूप में रह रहा है। सूचना में कहा गया था कि वह पूणा क्षेत्र के भैयानगर इलाके में एक लेस-पट्टी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है।

इस सूचना के बाद सूरत क्राइम ब्रांच ने दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय कर फैक्ट्री पर छापा मारा। जब पुलिस वहां पहुंची, तो आरोपी बिलकुल साधारण कपड़ों में मशीन चला रहा था — न कोई शक, न कोई डर। लेकिन जब पुलिस ने कागजात और पुरानी तस्वीरों से उसकी पहचान की पुष्टि की, तो सच्चाई सामने आ गई। उसने दिल्ली के 2009 के हत्याकांड में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद वह दिल्ली से भागकर पहले हरियाणा और फिर राजस्थान में कुछ महीने रहा। बाद में पुलिस से बचने के लिए उसने अपना नाम बदल लिया और सूरत आकर मजदूर के रूप में काम करने लगा। उसने बताया कि इतने सालों तक वह साधारण जीवन जीकर खुद को सुरक्षित समझने लगा था, लेकिन अंदर ही अंदर अपराधबोध ने उसकी नींद और चैन छीन रखा था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेने के बाद सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और अब उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच अब इस 16 साल पुराने हत्याकांड की जांच को दोबारा खोल रही है ताकि शेष आरोपी बनारसी लाल तक भी पहुंचा जा सके।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अपराधी चाहे कितनी भी दूर भाग जाए, कानून की नज़रों से नहीं छिप सकता। यह केस पुलिस की प्रतिबद्धता और सूक्ष्म जांच का परिणाम है।” स्थानीय सूत्रों का कहना है कि आरोपी पिछले कुछ वर्षों से बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहा था। फैक्ट्री के सहकर्मियों को कभी शक नहीं हुआ कि उनके बीच एक हत्यारा काम कर रहा है। वह समय पर आता, मेहनत करता और शाम को चुपचाप अपने किराए के कमरे में लौट जाता। लेकिन उसके शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा अतीत था जिसे वह कभी मिटा नहीं सका।

यह गिरफ्तारी न केवल पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, बल्कि यह भी साबित करती है कि अपराध का रास्ता भले ही लंबा हो, अंत में न्याय जरूर मिलता है।

अब यह देखना बाकी है कि दिल्ली पुलिस की आगे की जांच में क्या और राज़ सामने आते हैं — क्या इस हत्या के पीछे केवल पैसों का विवाद था या कुछ और गहरा कारण भी छिपा था? लेकिन फिलहाल इतना तय है कि 16 साल की फरारी के बाद न्याय का पहिया फिर घूम पड़ा है, और वह आदमी जो वर्षों तक मजदूर बनकर ‘सादा जीवन’ का मुखौटा लगाए रहा, अब अपने किए का हिसाब देने के लिए अदालत के कटघरे में खड़ा होगा।